

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
—:: सार्वजनिक सूचना ::—

क्रमांक/ 1822/भू-अर्जन/आ0क्र0नि0-2021

दुर्ग, दिनांक 13/09/2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की ग्राम पहुंच मार्ग सड़क निर्माण योजना के तहत जिला दुर्ग के शमशान पहुंच मार्ग लं. 0.35 कि.मी. एवं सड़क उन्नयन बिकास योजना में ग्राम पतौरा, तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) के भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के प्रावधानों के तहत अनुसूची में वर्णित भूमि कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग दुर्ग के पक्ष में क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

स. क्रं.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम		क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण		स्थावर संपत्तियों का विवरण
			खसरा	रकबा	
1	2		3	4	5
1	विजय कुमार	बंसत लाल केजरीवाल	496/1	140.00 357.00	— —
2	रीता गुलशन	डाल्टन व अन्य	497	129.50	—
3	गांधीराम	भैयाराम	499/4	100.80	—
4	हेमराज	गुलाम	499/3	108.50	—
5	कल्याण सिंह	गुलाम	500	145.60	—
6	अश्वनी	कार्तिक	503	140.70	—
7	रामलाल	जंतराम	505	145.60	—
8	सुखीराम	गंगाराम	506/1	161.00	—
9	वीरेन्द्र	गजाधर व अन्य	509	147.00	—
10	रूपेश	गजकरण व अन्य	510	161.00	—
11	रजवंतीन बाई	बुधराम	513	301.00	—
योग			—	2037.70	—

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर, दुर्ग के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

(डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
कलेक्टर जिला दुर्ग (छ.ग.)
एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,